राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक (द्वितीय), रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, करौली
Mail ID- dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in Phone No. 07464-297007

क्रमांकः एफ ( ) 2021–22/एफ.सी.ए/उवसंआरटीआर.II/4128 दिनांक :– 08-11-2023
निमित्

ए.वी.पी जीओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि.
प्रथम तल आनंद भवन, संसार चन्द रोड जयपुर 302001

विषय :- laying underground OFC along road from Mandrayal to Ghari Ka Gaon to Kutalpur from Lat/Long 26.30437/77.231 to 26.01800/76.69551 for length of 71.895 Kms & area 3.225 ha. in & outside of forest area in Karauli District. Total Length & area applied in Forest are 17.439 KM & 0.785 ha. respectively. Proposal No : FP/RJ/OFC/150679/2021. For Forest clearance.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मण्डरायल जिला करौली से गढी का गॉव/कूतलपुर जिला सवाई माधोपुर तक ऑप्टिकल फाईबर केबल पारेषण किये जाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रस्ताव कैलादेवी अभयारण्य/रणथम्भौर टाईगर रिजर्व (सीटीएच) एवं राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य/धौलपुर–करौली टाईगर रिजर्व (सीटीएच) से तथा इनके ईको सेंसेटिव जॉन क्षेत्र से गुजरना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में निम्नानुसार संशोधन एवं दस्तावेज/रिपोर्ट वांछनीय है–

1. प्रस्ताव के भाग–I के बिन्दु ए–1 (ii) (iii) व (Viii) में प्रस्ताव के कुल क्षेत्रफल व प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि की गणना सही नहीं है। आवश्यक संशोधन वांछनीय है। प्रस्तावित क्षेत्र से प्रभावित समस्त वन भूमि की पुनः शुद्ध गणना करावें एवं उक्तानुसार ही प्रस्ताव के बिन्दू बी–2.1, 2.2, 2.3, 2.4 बिन्दु सी एवं डी के समस्त भागों के साथ ही केएमएल, टोपोशीट मैप व जीओ रेफरेन्श मैप में बराबर संशोधन करावें।
2. प्रस्ताव के भाग– I के बिन्दु बी–2.3 में प्रस्तावित भूमि का ग्रामवाईज अलग–अलग विवरण दर्ज नहीं किया गया है तथा प्रस्ताव में गांव गढीकागांव, करई, टोडा, सिमरा, कसेड व अरोरा का ही उल्लेख किया गया है जबकि प्रस्ताव उक्त गांवों की वन भूमि के साथ ही तहसील सपोटरा के ग्राम कानरदा, बिलवासा, चचेडी, गोटा, आकोरियाकी, घटा, चिरचिरी व डगरिया की वन भूमि से भी गुजरना प्रस्तावित है। आवश्यक संशोधनों के साथ प्रस्ताव प्रेषित करें।
3. प्रस्ताव के भाग– I के बिन्दु सी–(ii) बी 1 में प्रत्यावर्तित वन भूमि केवल एक खण्ड की ही बताई गई है जबकि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एक खण्ड में ना होकर आठ खण्डों/भागों/टुकडो में है। प्रत्येक खण्ड के अलग अलग क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए अलग अलग केएमएल फाईल अपलोड करावें। व (iii) तथा (iv) में संलग्न टोपोशीट मैप व जीओ रेफरेन्स मैप में चम्बल अभयारण्य, कैलादेवी अभयारण्य व प्रस्तावित क्षेत्र तथा प्रस्ताव से प्रभावित होने वाली वन भूमि तथा अभयारण्य की सीमा के अन्दर की गैर वन भूमि के प्रस्ताव को भिन्न–भिन्न रंग से प्रदर्शित करते हुए सुस्पष्ट इण्डेक्स के साथ नक्शे तैयार किये जावे। तथा उक्तानुसार ही सुस्पष्ट बारचार्ट संलग्न किया जावे।
4. प्रस्ताव के भाग–I के बिन्दु डी– (i) पर संलग्न जस्टिफिकेशन व प्रोजेक्ट नोट जेडीएफपीएल सही नहीं है। कृपया प्रस्तावित परियोजना के संक्षिप्त विवरण जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र से प्रभावित होने वाले संरक्षित क्षेत्रों का विवरण, परियोजना की लागत तथा प्रभावित वन भूमि/गैर वनभूमि, संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि/गैर वनभूमि, इएसजेड के अन्तर्गत वन भूमि/गैर वन भूमि, इएसजेड के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र की लम्बाई/क्षेत्रफल का उल्लेख हो अपलोड करावें।
5. प्रस्ताव के भाग–I के बिन्दु आई– में केवल कैलादेवी अभयारण्य क्षेत्र से प्रस्तावित क्षेत्र की ही वन्यजीव स्वीकृति संलग्न की गई है। जबकि प्रस्ताव राष्ट्रीय चम्बल घडियाल

Scanned with OKEN Scanner

अभयारण्य/धौलपूर–करौली टाईगर रिजर्व (सीटीएच) क्षेत्र से भी गुजरना प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

6. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाली वन भूमि की खसरा नं. वाईज अलग–अलग क्षेत्रफल गणना रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है। कृपया प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाली वन भूमि की खसरा नं. वाईज अलग–अलग क्षेत्रफल गणना रिपोर्ट राजस्व विभाग से प्राप्त व प्रमाणित कराकर अपलोड करावें।
7. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर दूरी के दायरें में कोई भी ब्लास्टिंग नहीं करने का शपथ पत्र/अंडरटेकिंग अपलोड करावें।
8. प्रस्तावित क्षेत्र मण्डरायल से शुरू कर गढीकागांव कुतलपुर जिला सवाई माधोपुर में एण्ड बिन्दू लिखा गया है। जबकि प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि के खण्डो का कम विपरीत उल्लेखित किया गया है। आवश्यक संशोधन वांछनीय है।

कृपया बारम्बार अधुरा/गलत प्रस्ताव प्रेषित ना करें इससे राजकार्य प्रभावित होते है व अनावश्यक विलम्ब होता है। उपरोक्तानुसार संशोधनों से संबन्धित किसी भी सहायता व जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(नाहर सिंह सिनसिनवार)
उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर टाईगर रिजर्व करौली

कमांकः एफ ( ) 2021–22/एफ.सी.ए/उवसंआरटीआर.II/4129-30 दिनांक :– 08-11-2023
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर टाईगर रिजर्व करौली

Scanned with OKEN Scanner